

# User Manual

## e-LEGAL APPLICATION



---

**COMMERCIAL TAX DEPARTMENT**  
**GOVT. OF UTTARAKHAND**

कृपया भाषा का चयन करें।

**Please select your language**

यहां क्लिक करें.....

**हिन्दी**

click here.....

**English**

## अनुक्रमणिका

(परिपत्र देखें)

1. प्रस्तावना..... पेज 4
2. पूर्वपिक्षा ( Pre-requisites)..... पेज 5
3. मुख्य बिन्दु ..... पेज 6
4. प्रश्नोत्तरी ( FAQs) ..... पेज 7
5. ई-लीगल एप्लीकेशन ऑन लाईन देने की प्रक्रिया..... पेज 10
6. नुस्खे (Tip) ..... पेज 12

(वापस भाषा पर जाएं)

## प्रस्तावना:

---

---

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्तमान में ई-रजिस्ट्रेशन, ई-पेमेंट जैसी कई ऑनलाईन सेवाएं अपने सम्मानित व्यापारीगणों को प्रदान की जा रही हैं। विभाग को यह अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है कि करदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ऑनलाईन फार्म-सी एवं फार्म-11 की सफलता के पश्चात् ऑनलाईन ई-लीगल एप्लीकेशन की सुविधा प्रारम्भ करने जा रहा है। इस सुविधा के अन्तर्गत व्यापारीगणों को मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2005 के तहत विभिन्न धाराओं जैसे धारा-7(1), धारा 7(2), धारा (30), धारा (31), धारा 35(1) के प्रार्थना पत्र ऑनलाईन विभाग में जमा कराये जा सकते हैं। अब व्यापारियों को वर्ष 2014-15 में 1 अप्रैल 2014 से इन सभी प्रार्थना पत्रों को वाणिज्य कर विभाग में जमा करने हेतु कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी तथा वे अपने ऑफिस या प्रतिष्ठान में बैठकर ही अपने कम्प्यूटर से ऑनलाईन ई-लीगल एप्लीकेशन को जमा कर सकेंगे।

(वापस अनुक्रमिका पर जाएं)

## पूवपिक्षा ¼Pre-requisites½ %

---

इस सुविधा का उपयोग करने के लिए किसी Specific system configuration की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यह सुनिश्चित करें कि -

- 1- आपके कम्प्यूटर में **इन्टरनेट कनेक्शन** उपलब्ध हो तथा **PDF Reader Installed** हो।
- 2- प्रिन्टर व ए-4 साईज पेपर उपलब्ध हों।

(वापस अनुक्रमणिका पर जाएं)

## मुख्य बिन्दु:

---

- ❖ यह सुविधा दिनांक 01-04-2014 से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा धारा-7(1), धारा 7(2), धारा (30), धारा (31), धारा 35(1) के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के लिए उपलब्ध रहेगी।
- ❖ आन-लाईन तरीके से दिये गये इन प्रार्थना पत्रों का प्रिन्ट आउट प्रिन्ट आपशन में जाकर व्यापारी द्वारा लिया जा सकता है।
- ❖ दिये गये प्रार्थना पत्रों की हार्ड कापी वांछित अभिलेखों के साथ जिस खण्ड में व्यापारी पंजीकृत हो उस खण्ड में सक्षम अधिकारी के समक्ष 10 दिन में प्रस्तुत करना हैं।

(वापस अनुक्रमणिका पर जाएं)

## प्रश्नोत्तरी (FAQs) %

---

(नोट- उत्तर के लिए प्रश्न पर क्लिक करें)

प्रश्न 1 : ई-लीगल अप्लीकेशन के अन्तर्गत कौन कौन से प्रार्थना पत्र आयेंगें जिनको ऑन लाईन देना है?

प्रश्न 2 : ई-लीगल अप्लीकेशन के लिये किस प्रकार आवेदन करना है?

प्रश्न 3 : एक बार में एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा कितने लीगल एप्लीकेशन दिये जा सकते हैं?

उत्तर 1 : वाणिज्य कर विभाग में समय-समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र पंजीकृत व्यापारी द्वारा दिये जाते हैं। उनमें से निम्न धाराओं में दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों को ऑन-लाईन देने की सुविधा दी जा रही है-

- धारा 7(1)- (छोटे व्यापारियों के द्वारा अपनायी जाने वाली समाधान स्कीम हेतु जिनका टर्न ओवर 50 लाख से कम हो।)
- धारा 7(2)- (सिविल/विद्युत संविदाकारों द्वारा अपनायी जाने वाली समाधान स्कीम हेतु)
- धारा 30- (भूल सुधार हेतु।)
- धारा 31-(कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने हेतु।)
- धारा 35(1)-(स्रोत पर कर कटौती के सम्बन्ध में।)

(वापस प्रश्न पर जाएं)

उत्तर 2 : यह बहुत आसान है, इसके लिये आपको कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुये वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट <http://comtax.uk.gov.in> पर लॉग इन करना है, जहां आपको e-Legal application का option मिलेगा, इस option पर क्लिक करके आपको जिस धारा में प्रार्थना पत्र देना है उसे select करते हुये वांछित सूचनाओं को दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रार्थना पत्र को **Online submit** करना है।

(वापस प्रश्न पर जाएं)



उत्तर 3 : इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। एक व्यापारी द्वारा विभिन्न धाराओं में जिसमें वह उचित समझता है। ऑन लाईन लीगल एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है।

(वापस प्रश्न पर जाएं)

(वापस अनुक्रमणिका पर जाएं)

## E-Legal प्रार्थना पत्रों को Online Apply करने की प्रक्रिया :

---

---

**STEP 1:** विभागीय वेबसाइट पर [http:// comtaxappl.uk.gov.in](http://comtaxappl.uk.gov.in) में Log In पर Dealer account में log in करें।

**STEP 2:** बांयी तरफ प्रदर्शित हो रहे विकल्प E-Legal application पर क्लिक करें।

**STEP 3:** E-Legal application के अन्तर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध दिखेंगे :-

- U/S 7(1) (Application for Composition of tax)
- U/S 7(2) (Application for Composition Scheme by civil/ electrical contractors)
- U/S 30 (Application Rectification of mistake)
- U/S 31 (Application to set aside an order of assessment)
- U/S 35 (Application for Deduction of tax at Lowell rate)

**STEP 4:** जिस धारा में प्रार्थना पत्र देना है उक्त धारा के प्रार्थना पत्र को चयनित करते हुए उस पर क्लिक करें।

**STEP 5:** उक्त धारा में दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र जिस Assessment year से सम्बन्धित है, उसे Drop Down से select करें। Drop down से assessment year select करें।

**STEP 6:** उक्त प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मांगे गये Fileds को भरें।

- STEP 7:** समस्त Filed को भर कर save application को click करें।
- STEP 8:** save application को click करते ही Application No. generate हो जाती है। तत्पश्चात् Modify Application एवं final submission का option मिलता है।
- STEP 9:** यदि प्रार्थना पत्र में किसी Filed को बदलना है तो modify application को क्लिक करके किसी भी field में कोई भी change कर सकते हैं।
- STEP 10:** Final submit का बटन दबते ही उक्त प्रार्थना पत्र CTD office में Submit हो जाता है।
- STEP 11:** अब “Print application” के option पर जाकर प्रार्थना पत्र का प्रिंट out ले लें एवं प्रार्थना पत्र online submit करने के बाद दस दिनों के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में वांछित समस्त अभिलेखों के साथ अपने खण्ड कार्यालय में सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों।

(वापस अनुक्रमणिका पर जाएं)

## उप[क्ष (Tips) %

---

- ❖ अच्छे परिणाम के लिए यह सुनिश्चित करें कि आप **Mozilla firefox** ब्राउजर का प्रयोग कर रहे हों।
- ❖ ई-लीगल एप्लीकेशन दाखिल करते वक्त उक्त धारा में दी गयी समस्त शर्तें ध्यान पूर्वक पढ लें तदुपरान्त ही प्रार्थना पत्र भरे।
- ❖ आपकी सुविधा के लिए वाणिज्य कर विभाग की वेब साईट [www.comtax.gov.in](http://www.comtax.gov.in) पर updated वैट एक्ट एवं रूल्स उपलब्ध हैं।
- ❖ अपना यूजर आईडी व पासवर्ड सुरक्षित रखें तथा निश्चित अन्तराल पर बदलते रहें। पासवर्ड याद न रहने की स्थिति में फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग कर अपनी ई-मेल आईडी पर अपना नया पासवर्ड भेंजें किन्तु यह ध्यान रखें कि आपने अपनी ई-मेल आईडी अपने अकाउण्ट में अपडेट कर दी हो।

(वापस अनुक्रमणिका पर जाएं)

---

## TABLE OF CONTENT

---

(View Circular)

1. Introduction .....	page 14
2. Prerequisites .....	page 15
3. Important points .....	page 16
4. Frequently Asked Questions (FAQs) .....	page 17
5. Process to submit E-legal application online.....	page 20
6. Tips .....	page 22

(Back)

## INTRODUCTION

---

---

Commercial Tax Department is providing several online services like e-registration, e-payment etc. to the dealers registered with the department. We are glad to inform you that after the success of online form-C & form-11 services, department has stepped further to provide its dealers the facility of filing legal applications online through E-legal application service. Dealer can now submit there applications of legal nature U/s 7(1), U/s 7(2), U/s (30), U/s (31), & U/s 35 (1) of Vat act 2005 **online.**

With this facility from 1 April 2014 dealer would not be required to visit the respective sectors offices, in person, to submit these applications. They would now be able to file these legal application from their premises or their working desks online at the time of their ease.

[\(Back to contents\)](#)

## PREREQUISITES

---

---

Your computer system does not require any specific system configuration to avail this facility. However dealer must ensure that

- ✓ There is an internet connection in your computer system with PDF reader installed in it.
  
- ✓ A printer with A-4 size paper in attached/available.

**([Back to contents](#))**

## IMPORTANT POINTS

---

---

- ❖ This facility shall be available for application U/s 7(1), U/s 7(2), U/s (30), U/s (31) & U/s 35 (1) of Vat act with effect from 01-04-2014
  
- ❖ The print out of the application filled so, can be taken through **Print** option.
  
- ❖ The hard copy of such online submitted application of should be produced before the respective sector officer in 10 consecutive days.

**[\(Back to contents\)](#)**



## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

---

---

**(Note- click on questions to get answer)**

**Question 1 :** What are all the application which can be filled under E-legal application.

**Question 2 :** what is the process of the filing E-legal application

**Question 3 :** How many application a registered Dealer can file at the time?

**Answer 1:** There are a number of applications that are submitted by the registered dealer in Commercial Tax Department.

The application under following section shall now the filled online

- U/S 7(1) (Application for Composition of tax)
- U/S 7(2) (Application for Composition Scheme by civil/electrical contractors)
- U/S 30 (Application Rectification of mistake)
- U/S 31 (Application to set aside an order of assessment)
- U/S 35(1) (Application for Deduction of tax at Lower rate)

[\(Go back to questions\)](#)

**Answer 2 :** Its easy, First, login with your User ID & password at Department's website (<http://comtax.uk.gov.in>). Here, you'll get the Option for E-legal application on left side at the bottom. Click on this option and select the type or section of the application you need to file.

Now, proceed to fill the required field in the as directed and save & submit your application

[\(Go back to questions\)](#)

**Answer 3 :** There is no limitation. A registered dealer can file as many applications as he thinks necessary at a point of time, be it under the same section or different section.

[\(Go back to questions\)](#)

[\(Back to contents\)](#)

## Process to submit E-legal application online

---

---

**STEP 1:** Log on to department'' website (<http://comtax.uk.gov.in>) and sign in to Dealer account.

**STEP 2:** Click on E-legal application on left bottom side of the screen.  
You'll find the following option under E-legal application.

**STEP 3:** Select and click the type of application you need to file.

**STEP 4:** Select the Assessment year for which are going to submit the application from Drop down box on the main page & click on **'Proceed'**

**STEP 5:** Fill in the required field.

**STEP 6:** Click on **"Save application"** and an application number is generated at once.

**STEP 7:** Now, you get two 'Option'

- **Modify Application**
- **Final submit application to CTD**

**STEP 8:** If you want to change the details given in any field, click on the **Modify Application** tab and edit the field.

**STEP 9:** Once you click on **'Final submit'** option your application is submitted to Commercial Tax Department office.

**STEP 10:** Now, you can take print of the application by clicking **'Print Application'**.

**STEP 11:** You are required to present before your sector officer with all the requisite documents in next 10 days, on any working day.

[\(Back to contents\)](#)

## TIPS

---

---

- ❖ Our website is compatible with Mozilla Firefox Browser. Kindly use the same for the best result.
  
- ❖ Read all the provisions under particular section of VAT act before filing E-legal application of that particular section.
  
- ❖ For you convenience, updated VAT act & Rules are available on departments website (<http://comtax.uk.gov.in>).
  
- ❖ Protect your user ID & password and keep changing it after a certain period. If you don't remember your password click on '**FORGET PASSWORD**'. You can get a new password in your e-mail ID. Remember, to update your e-mail ID in your dealer account.

[\(Back to contents\)](#)